R 3370-पीबीआर/14

श्री ... (हस्ताक्षर) ... एड
द्वारा आज दिनांक 9-09-14 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
मार्केट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3081
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज्ञा
दिनांक ________ को प्राप्त

कार्यालय कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. शिवराम कोल पिता कुमारे कोल उम्र 45 वर्ष, पेशा- कृषि,
2. कुमारे कोल तनय बेलानी कोल उम्र 65 वर्ष, पेशा-कृषि,

उपरोक्त दोनो निवासी ग्राम नकवार, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

----आवेदकगण

बनाम

रामकिशोर भुर्तिहा तनय बंशरूप भुर्तिहा निवासी ग्राम नकवार, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

शासन म0प्र0

----अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंण्डल हनुमना, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के प्र0क्र0 28अ12/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 25.7.2014 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

28-5-2015

आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 28/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25-07-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 9-9-14 को प्रस्तुत की है।

2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमावर्ती कृषकों को सूचना देने के उपरांत, उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया है। आदेश में पंचनामे पर सीमावर्ती कृषकों के हस्ताक्षर होने का भी उल्लेख है। किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने से राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई है। आवेदक किस प्रकार उक्त सीमांकन से हितबद्ध है स्पष्ट नहीं कर सके। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य